



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या:- 542

/भूखण्ड अनुभाग/2025

दिनांक : 12-06-2025

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्वर्णजयन्तीपुरम आवासीय योजना के 137 भूखण्डों के बहाली/पुर्नआवंटन में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में उक्त भूखण्डों के आवंटन निरस्तीकरण हेतु माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर (सी0डि0) गाजियाबाद के समक्ष वाद विचाराधीन है। योजना के विवादित भूखण्डों का विवरण निम्नवत है:-

ब्लॉक बी- भूखण्ड सं0-15, 40, 42, 59, 66, 84, 114, 121, 122, 124, 125, 135, 138, 146, 150, 151, 153, 154, 157, 182, 195, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 262, 268, 272, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 335, 343, 362, 373, 375, 379, 384, 388, 397, 400,

ब्लॉक सी- 4, 7, 8, 9, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 65, 84, 85, 104, 178ए, 180ए, 180बी, 191, 267, 328, 331, 336, 340, 383, 398ए, 398बी, 398डी, 398ई,

ब्लॉक डी- 2, 4, 6, 16, 20, 22, 25, 54, 58, 70, 73, 80, 85, 86, 102, 111, 126, 127, 135, 136, 137ए, 150, 164, 175ए, 194, 229, 260, 262, 273, 298, 115, 116, 185,

ब्लॉक ई- 13, 65, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 220, 221, 230, 242,

अतः जन साधारण को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित भूखण्डों का वाद-विवाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत भूखण्डों का क्रय-विक्रय न करें। यदि इसके पश्चात भी भूखण्डों का क्रय-विक्रय किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी तथा इससे प्राधिकरण का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। उपरोक्त कारणों से विवादित भूखण्डों के सम्बन्ध में नामान्तरण कार्यवाही, मानचित्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से की जानी सम्भव नहीं होगी।

प्रभारी सम्पत्ति
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।